तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.51/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
14.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी राहुल सिंघी पुत्र योगेन्द्र सिंघी, जाति– जैन, निवासी– सिंघी लाईन, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म काफिला रेस्टोरेन्ट, अजारी रोड, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 08.2.2022 को फर्म काफिला रेस्टोरेन्ट, अजारी रोड़, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राहुल सिंघी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही का नमूना संख्या S-1669 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./449/Act/2022/438 दिनांक 23.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 17.11.2023 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर दिनांक 17.11.2023 को ही प्रतिवादी राहुल सिंघी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि मेरे द्वारा दही में कोई मिलावट नही की गई है, जिस स्थिति में मैनें खरीदा था उसी स्थिति में विक्रय किया है। मेरे द्वारा दही को सारणेश्वर डेयरी से क्रय किया था। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुझसे से खाद्य पदार्थ दही का नमूना लेने की कार्यवाही विधिवत नही की है एवं न ही मौके पर कार्यवाही सम्पादित की है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरे खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवाये है। मुझे खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रेषित नही की है, जिससे वह उक्त खाद्य पदार्थ दही के नमूने की रेफरल लेब से जांच करवाने के अधिकार से वंचित रहा है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) . ...ल	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:14 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.51/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

द्वारा दिनांक 08.2.2022 को फर्म काफिला रेस्टोरेन्ट, अजारी रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राहुल सिंघी से खाद्य पदार्थ दही का जो नमूना संख्या S-1669 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु क्रय किया गया है, उस दही का नमूना खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./449/Act/2022/438 दिनांक 23.2.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ दही का नमूना संख्या S-1669 को जांच हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत क्रय करने की कार्यवाही मात्र एक गवाह की उपस्थिति में की जाना मौका फर्द में अंकित किया है, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2001 के विनियमय संख्या 2.4.1(1) के अर्न्तगत यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूनों को लेते समय कम से कम दो साक्ष्यिों को बुलाएगा, परन्तु विचारणीय प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा केवल मात्र एक सरकारी गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की उपस्थिति में प्रतिवादी राहुल सिंघी से उक्त खाद्य पदार्थ दही का नमूना जांच हेतु क्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2001 के विनियमय संख्या 2.4.1(1) का उल्लंघन है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारणीय प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये गवाह सूची में अंकित किसी भी गवाह को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में यह तथ्य साबित नही होता है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी राहुल सिंघी से उक्त खाद्य पदार्थ दही का नमूना संख्या S-1669 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु क्रय किये जाने व नमूना लिये की पूर्ण कार्यवाई प्रतिवादी राहुल सिंघी के समक्ष मौके पर विधि अनुसार सम्पादित की गई हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./449/Act/2022/438 दिनांक 23.2.2022 को अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/382–84 दिनांक 10.3.2022 के द्वारा प्रतिवादी राहुल सिंघी को प्रेषित किये जाने के पत्र की प्रति न्याय निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत की है, परन्तु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट प्रतिवादी राहुल सिंघी को उक्त पत्र [illegible] 382–84 दिनांक 10.3.2022 के द्वारा

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.51/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

पंजीकृत डाक से ही प्रेषित की गई हो, के संबंध में पंजीकृत डाक की भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी रसीद (Receipt) की प्रति न्याय निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत नही की है। इससे यह तथ्य भी प्रमाणित नही होता है कि वस्तुतः प्रतिवादी राहुल सिंघी को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./449/Act/2022/438 दिनांक 23.2.2022 की प्रति पंजीकृत डाक से प्रेषित की हो। चूंकि प्रतिवादी राहुल सिंघी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को साबित करने में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी असफल रहे है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26(2)(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:14 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:14 IST
Reason: SelfAttested